न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी

न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प डिडावता

मु० न० 58/2017

निर्णय दिनांक :- 12/5/17

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार फागी बनाम कैलाशी वगैरा

(धारा 131 LR Act रास्ता प्रकरण)

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प कोर्ट डिडावता पर पेश हुई। तहसीलदार फागी द्वारा ग्राम मानपुरा के ख० न० 118/6 रकबा 0.02 बीघा भूमि को अपवीगण द्वारा विभाजन पत्र में आपसी सहमति से शामलात रास्ता रखा है। जो तदनुसार जमाबंदी में दर्ज है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नकशा रेस की प्रति के अवलोकन एवं अध्ययन करने के बाद प्रा० 131 LR Act स्वीकार किया जाकर ख० न० 118/6 रकबा 0.02 बीघा भूमि ग्राम मानपुरा त० फागी को आ० मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि शामलाती खातेदारी में पूर्ववत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी को रिकार्ड के अमल दरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।